

प्रेस नोट

जनपद रामपुर

दिनांक

12.10.2021

twitter-@rampurpolice

FB-रामपुर पुलिस

Telegram-@rampurpolice

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अंकित मित्तल द्वारा जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-

थाना कोतवाली:-सार्वजनिक स्थान पर लाईसेंसी अस्लाह लेकर प्रदर्शन करने में दो अभियुक्तगण गिरफ्तार-

दिनांक 11-10-2021 को रामलीला ग्राउन्ड सनातन धर्मशाला के मुख्य द्वार पर सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस कर्मियों द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान समय करीब 10:30 बजे प्रवेश द्वार पर दो व्यक्ति आये जिनमें से एक व्यक्ति के पास डबल बेल 12 बोर लाईसेंसी बन्दूक थी। पुलिस द्वारा दोनों व्यक्तियों को रोक लिया और समझाया कि जनपद में धारा 144 सीआरपीसी लागू है। आप शस्त्र लेकर क्यों आये है। शस्त्र लेकर रामलीला ग्राउन्ड में नहीं जा सकते। इसी बात पर दोनों व्यक्ति पुलिस को जान से मारने की धमकी, गाली गलौच करते हुए सरकारी कार्यवाही में बाधा उत्पन्न कर, रामलीला ग्राउन्ड में जबरदस्ती प्रवेश करने का प्रयास करने लगे। पुलिस द्वारा दोनों को मौके से पकड़ लिया गया जिनमें से सरदार सिंह पुत्र नरायण सिंह निवासी अलीगंज बेनजीर थाना कोतवाली, रामपुर के कब्जे से एक बन्दूक लाइसेंस 12 बोर व लाइसेंस नं 04 कारतूस बरामद हुए तथा दूसरे ने अपना नाम मुन्नालाल पुत्र रघुनाथ निवासी ग्राम अलीगंज बेनजीर थाना कोतवाली, रामपुर बताया गया। इस सम्बंध में थाना कोतवाली, रामपुर पर मु0अ0सं0-202/21 धारा 188,332,353,336,504,506 भादवि व 7 आपराधिक कानून अधिनियम 1932 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

थाना स्वार:-210 ग्राम चरस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 12-10-2021 को थाना स्वार, रामपुर पुलिस द्वारा मतलूब पुत्र याकूब निवासी मोहल्ला चक स्वार थाना स्वार, रामपुर को बिजली घर के पास काशीराम कालोनी कस्बा व थाना स्वार, रामपुर से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 210 ग्राम चरस

नाजायज बरामद हुई। इस सम्बंध में थाना स्वार, रामपुर पर मु0अ0सं0-506/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना अजीमनगर:-दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार-

अभियुक्त महेन्द्र पुत्र किशोर लाल निवासी ग्राम हरैटा थाना अजीमनगर, रामपुर द्वारा एक 15 वर्षीय लडकी के साथ बलात्कार करने के सम्बंध में थाना अजीमनगर, रामपुर पर मु0अ0सं0-286/21 धारा 376/506 भादवि 3/4 पोक्सो अधिनियम का अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसी क्रम में थाना अजीमनगर, रामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियुक्त महेन्द्र को आज दिनांक 12-10-2021 को ग्राम रतनपुरा शुमाली की पुलिया के पास से गिरफ्तार कर कार्यवाही की जा रही है।

थाना अजीमनगर:-50 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 11-10-2021 की रात्रि में अमरजीत पुत्र सन्तोख सिंह नि0 ग्राम वेवक्ता थाना मिलक खानम जनपद रामपुर को ग्राम खीजरपुर की पुलिया के पास से मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर नं0-यूके 06 ए.टी. 4610 पर एक जरीकेन में 50 लीटर कच्ची शराब ले जाते समय गिरफ्तार किया गया। इस सम्बंध में थाना अजीमनगर पर मु0अ0सं0-285/21 धारा 60(1)/72 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना सिविल लाइन:-20 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 12-10-2021 को थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस द्वारा सलीम पुत्र रमजानी निवासी नई बस्ती अजीतपुर थाना सिविल लाइन, रामपुर को दिल्ली हाईवे पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 20 लीटर नाजायज शराबखाम बरामद हुई। इस सम्बंध में थाना सिविल लाइन, रामपुर पर मु0अ0सं0-328/60 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना कोतवाली:-वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 12-10-2021 को थाना कोतवाली, रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त सूरज कुमार पुत्र रामचन्द्र निवासी इन्द्रा कालौनी थाना कोतवाली, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

थाना अजीमनगर:-वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 12-10-2021 को थाना अजीमनगर, रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त जसवन्त सिंह पुत्र तेजराम निवासी ग्राम बढपुरा शुमाली थाना अजीमनगर, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।